युद्धक विमानों की गड़गड़ाहट से गूंजा आसमान

▶ कल से प्रारंभ होगा वायुशक्ति-2026

ग्वालियर, 24 फरवरी. 26 फरवरी से शुरू होने वाले 'वायुशक्ति-2026' युद्धाभ्यास को लेकर ग्वालियर के महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन और ग्वालियर के आकाश पर युद्धक विमानों की गड़गड़ाहट बढ़ गई है. इसी के चलते आज सुबह से फाइटर जेट्स की बढ़ी हुई हलचल को महसूस किया गया.

इसको लेकर वायुसेना ने अधिकृत रूप से तो कोई बात नहीं कही है लेकिन जानकारों का कहना है कि ग्वालियर के आकाश में युद्धक विमानों की गड़गड़ाहट बढ़ने का मुख्य कारण आगामी 'वायुशक्ति-2026 युद्धाभ्यास की तैयारी है. उल्लेखनीय है कि भारतीय वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास 'वायुशक्ति-26' आगामी 27 फरवरी को राजस्थान के पोखरण में आयोजित होने वाला है. 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद वायुसेना अपनी परिचालन क्षमता को लगातार उच्चतम स्तर पर रख रही है. नियमित ट्रेनिंग मिशन के तहत भी विमानों की उड़ानें बढ़ाई गई हैं ताकि किसी भी स्थिति के लिए तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके. युद्धाभ्यास से पहले विमानों के इंजन और रडार सिस्टम की सघन जांच के लिए भी टेस्ट फ्लाइट्स की जाती हैं.

ग्वालियर का एयरबेस मिराज-2000 और सुखोई जैसे प्रमुख लड़ाकू विमानों का गढ़ है. इस मेगा शो से पहले विमानों की फुल-स्केल रिहर्सल और फॉर्मेशन प्रैक्टिस की जा रही है, जिसकी वजह से ग्वालियर के आसपास आसमान में गर्जना बढ़ गई है. ग्वालियर बेस विशेष रूप से मिराज-2000 लड़ाकू विमानों का मुख्य केंद्र है. वायुशक्ति अभ्यास में इन विमानों की अहम भूमिका होती है (जैसे लेजर गाइडेड बमबारी का प्रदर्शन). पायलट अपनी सटीकता और 'टाइमिंग' को परखने के लिए सुबह से ही 'सॉर्टीज' ले रहे हैं.

शिवपुरी में सरपंच के बेटे पर कुल्हाड़ी और तलवार से हमला

शिवपुरी. शिवपुरी में सरपंच के बेटे को कुल्हाड़ी और तलवार से वार कर हत्या कर दी. उसके पेट, हाथ और शरीर अन्य हिस्सों में गहरी चोट लगी है. वहीं सरपंच समेत 3 अन्य लोगों पर भी तलवार और कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिससे वह घायल हो गए हैं. मामला मायापुर थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक मरने वाले का नाम युधिष्ठिर यादव है जो मुहासा ग्राम पंचायत के सरपंच राजेंद्र सिंह यादव का बेटा है. युधिष्ठिर यादव पर हमले के बाद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह खून से लथपथ दर्द से तड़पता हुआ दिख रहा है.

पटवारियों के समर्थन में लामबंद हुए रीवा के पटवारी

नवभारत न्यूज

रीवा, 24 फरवरी, मध्यप्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर प्रदेश के समस्त जिलों के साथ साथ रीवा जिले के पटवारियों ने प्रमुख सचिव राजस्व और सी एल आर भू संशाधन एवं प्रबंधन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौपा है.

ज्ञात हो कि विगत दिनों से अनूपपुर जिले में पटवारियों के खिलाफ कलेक्टर द्वारा की गई मनमानी और तानाशाही पूर्ण रवैये से पिछले कई दिनों से जिले के पटवारी हड़ताल पर है. अनूपपुर जिले में जैतहरी तहसील के समस्त पटवारियों का वेतन जुलाई 2025 में रोका गया था, जो कि आज तक भुगतान नही किया गया है. अनूपपुर जिले के पटवारियों की समस्याओं के निराकरण नही होने की दशा में उनके समर्थन में दिनांक 25 एवं 26 फरवरी को रीवा जिले के समूर्ण पटवारी भी प्रदेश के पटवारियों के साथ साथ सामूहिक अवकाश पर रहेंगे. अगर मांगों का निराकरण नही हुआ तो प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा. संभागीय अध्यक्ष पटवारी संघ के जवाहरलाल शुक्ला, जिलाध्यक्ष अनन्त प्रताप सिंह, जिला सचिव रवि विश्वकर्मा, अमित मिश्रा, सन्तोष पांडेय, अनिल मिश्रा मौजूद रहे.

अनियंत्रित वाहन ने कुचला ट्रैक्टर के हेल्पर की मौत

जबलपुर. सिहोरा मझौली बाईपास पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में ट्रैक्टर के हेल्पर की मौत हो गई. घटना उस वक्त हुई जब सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर के पहिए में हेल्पर हवा चेक कर रहा था, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार आयशर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कटनी निवासी गिरीश यादव ड्राइवर है जो अपने हेल्पर महिपाल सिंह गौड़ पिता जोहर सिंह निवासी सलैया खुर्द के साथ सुबह करीब 5:30 बजे ट्रैक्टर में भूसा लादकर परियट जा रहे थे. मझौली बाईपास के पास ट्रैक्टर रोककर हेल्पर महिपाल सिंह टायर की हवा चेक करने के लिए नीचे उतरा था.

रीवा जिले में साधू के भेष में महिला से 10 लाख की ठगी

▶ सोने-चांदी के जेवरात ले गया बदमाश

▶ गुढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चौड़ियार गांव की घटना

नवभारत न्यूज

रीवा, 24 फरवरी, रीवा जिले के गुढ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चौडियार में साधू के भेष में आए दो लोगों ने महिला को ठगी का शिकार बनाया है और तकरीबन 10 लाख रुपए के सोने के जेवरात लेकर आरोपी फरार हो गए. महिला ने घटना की शिकायत गुढ़ थाने में दर्ज कराई है.

घटना के संबंध में पीड़िता रेनू पति रामजी कुशवाहा निवासी ग्राम चौड़ियार ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम 3-4 बजे हमारे यहां साधू के भेष में दो लोग आए. जिन्होंने उनके घर के संबंध में पहले तो सही जानकारी दी और उसके बाद पूजा पाठ का लालच देकर चावल के पांच दाने मंगवाए. महिला ने बताया कि दोनों साधुओं ने चावल के पांच दानों को भंडार गृह में ले जाकर रखने को कहा. महिला ने बताया कि वह चावल के दाने ले जाकर भंडार गृह में रख दे. इसके बाद साधुओं ने महिला से कागज मंगवाया जबकि मौके पर मौजूद पति रामजी को पानी के लिए भेज दिया.

एक नजर में

पुलिसकर्मी और उसके बेटे ने कर्मचारी को पीटा

जबलपुर. कोतवाली क्षेत्र में कचरा खाली करने गए एक सफाई कर्मचारी के साथ पुलिस जवान और उसके बेटे पर मारपीट किए जाने का आरोप है. सफाई कर्मचारियों ने थाने का घेराव कर दिया है और मारपीट करने वाले पिता पुत्र पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए. पीड़ित संतोष नाहर निवासी चंडालभाटा ने बताया कि वह अपनी नियमित ड्यूटी के दौरान दरहाई के पास कचरा खाली करने गया था. वहां मौजूद पुलिस जवान शैलेंद्र सोनी और उनके पुत्र ने कचरा डालने का विरोध किया. संतोष का दावा है कि विरोध के बाद उसने कचरा वापस गाड़ी में भर लिया था, लेकिन इसके बावजूद पिता-पुत्र ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी. पीड़ित का आरोप है कि आरोपी उसे घसीटते हुए थाने ले गए. वहां सुपरवाइजर की मौजूदगी में भी उसके साथ मारपीट की गई. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी थाने पहुंच गए और पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.

आरआई रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

मुरैना. मुरैना तहसील में पदस्थ राजस्व निरीक्षक राकेश जैन को ग्वालियर लोकायुक्त टीम ने एक हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी आरआई गोपियापुरा जिला मुरैना निवासी किसान संतोष कुशवाहा से रिश्वत ले रहा था. किसान अपने बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने तहसील कार्यालय पहुंचा था, जहां आरआई ने काम करने के एवज में दो हजार रुपए की मांग की. किसान ने पहले एक हजार रुपए दिए लेकिन शेष राशि की मांग जारी रहने पर उसने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत का सत्यापन करने के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया. तय योजना के अनुसार किसान ने मंगलवार को आरआई को एक हजार रुपए दिए, तभी लोकायुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

जैन मिलन ने कराई कुलैथ अतिशय क्षेत्र की दर्शन यात्रा

ग्वालियर. जैन मिलन महिला शाखा, फालका बाजार, लश्कर द्वारा जैन तीर्थ रक्षा अभियान वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कुलैथ अतिशय क्षेत्र दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया. बहनों ने गस्त का ताजिया से वेन एवं कार द्वारा प्रस्थान किया. कुलैथ पहुँचकर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से श्री शांतिनाथ विधान, अभिषेक एवं आरती की गई, जिससे वातावरण भक्ति मय बन गया. कार्यक्रम में शाखा की समस्त बहनों एवं परिवारजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की.

कलेक्टर ने 68 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया नोटिस

मऊगंज. कलेक्टर संजय कुमार जैन ने नईगढ़ी परियोजना की 68 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ को पद से पृथक करने का नोटिस जारी किया है. उल्लेखनीय है कि विभागीय समीक्षा बैठक में लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति न करने एवं विभागीय कार्यक्रमों में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास आशीष द्विवेदी ने बताया कि अकौरी 1, अकौरी 2, भीर 1, भीर 2, भीर 3, भीर 4, जरकटी रामशरण, तेंदुआ आदि को नोटिस दिया है. कशियार गॉव 1, दुबहा मिनी, नकटा, बहेरा कोठार, सिगटी कला, बंधवा भाईवाट 1, बंधवा भाईवाट 2, जमुहरा, शाह, बरोंहा 1, सिगटी नानकार, बरोंहा 3, वार्ड 10, वार्ड 15, सुमेदा खुर्द, चमढिया, वार्ड 14, डाड़ी करण सिंह, करह 2, माड़ौ 1, माड़ौ 2, नदहा खुर्द, फूलकरण सिंह 1, छुहिया, शिवराजपुर 3, शिवराजपुर 1, शाहपुर 2, परसिया मुड़हान, पथरौड़ा कला, डिहिया 2, छिउलिहा, मडना 2, मडना 4, सुअरहा, मनकुआ, गेरुआरी पड़ान, उमरिया चैवान, गोंदरी, मडना 3, तिवरिगवॉ फुलैहार, जुड्मनिया रघुनाथ, सेनुआ 2, डिहिया पड़ान 2, बुड़वा मामला, हकरिया 2, बहेरा, हंडिया 2, नीवी 538, भदावल 1, छदनहाई, बदौआ 662, डाड़ी कला, गढ़वा लखन खोरिहान, डीही कोठार, बैजला 1, बैजला 2, खैरहाई, मौलिया, हकरिया, चपगवां को नोटिस जारी किया गया है.

मालनपुर में ठेकों को लेकर हिंसक झड़प

फायरिंग के बाद जमकर चले लाठी-डंडे

भिंड, 24 फरवरी. जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रीज पर दबदबा बनाने और ठेके हासिल करने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. घिरोंगी गांव में हुए इस विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, लाठी-डंडे चले और हवाई फायरिंग की गई.

पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है. वर्चस्व की लड़ाई को लेकर घिरोंगी गांव में यह विवाद भड़क गया. दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और फायरिंग हुई. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया.

इस हिंसक विवाद में एक पक्ष की ओर से सचिन उर्फ अंकुश पुत्र मंगल सिंह गुर्जर की शिकायत पर भोलू, भानु, दीपू घिरोंगी और पंकज निवासी महाराजपुरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वहीं दूसरे पक्ष की ओर से धर्मेंद्र पुत्र पंजाब सिंह गुर्जर की शिकायत पर विष्णु, सचिन गुर्जर, मोहित और सुनील गुर्जर निवासी घिरोंगी के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.

टोल हटाने की मांग को लेकर फायरिंग

ग्वालियर. भिंड हाइवे को सिक्स लेन बनाए जाने की कथित मांग को लेकर एक बुलेट पर सवार दो युवकों ने टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके दहशत फैला दी. फायरिंग के बाद आरोपी टोल दफ्तर में एक पर्ची फेंककर गए हैं, जिसमें लिखा है या तो हाइवे बनाओ या टोल हटाओ. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. घटना महाराजपुरा थाना अंतर्गत बरेठा टोल प्लाजा की बताई जा रही है.

1 अप्रैल से महंगी हो सकती है रोशनी

ग्वालियर. ग्वालियर चंबल के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत झटके वाली हो सकती है. प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने आगामी 1 अप्रैल से टैरिफ में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को सौंप दिया है. यदि आयोग इस प्रस्ताव पर मुहर लगाता है, तो आम आदमी की रसोई से लेकर उद्योगों के बजट तक, सब कुछ प्रभावित होना तय है. पावर मैनेजमेंट कंपनी ने अपनी याचिका में लगभग 6,044 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का हवाला दिया है. कंपनियों का कहना है कि कोयले की कीमतों में अस्थिरता, परिचालन व्यय में वृद्धि और पुराने वित्तीय घाटों की भरपाई के लिए 10.19 प्रतिशत की औसत वृद्धि अपरिहार्य है.

रिदमा काकानी बनीं मिसेज सेंट्रल इंडिया-2026

नवभारत न्यूज

रतलाम। शहर की रिदमा काकानी ने मिसेज सेंट्रल इंडिया सीजन का खिताब अपने नाम किया। इसके पहले महाराष्ट्र में रनर का खिताब भी जीत चुकी है। रतलाम आने पर रिदमा पत्रकारों से मुखातिब हुई। प्रेस क्लब भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रेस क्लब अध्यक्ष मुकेश पुरी गोस्वामी, उपाध्यक्ष सुजीत उपाध्याय, सहसचिव दिनेश बरमेचा पूर्व अध्यक्ष रमेश टाक ने पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। अपने मन की बात बताते हुए रिदमा कहा कि महिलाओं को सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। महिलाओं के सपनों को हकीकत की जमीन ही नहीं पूरा आसमान में मिलता है। खास बात तो यह है कि इसमें उम्र कोई बाधा नहीं बनती है। झिझक छोड़ना होती है। हर उम्र में अपनी प्रतिभा को पंख लगा सकते हैं। रिदमा पुणे में आई टी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। रिदम ने हाल ही में दो उपलब्धियां प्राप्त की है। 21 फरवरी 2026 में 'द पेजेण्ट कंपनी द्वारा भोपाल में आयोजित मिसेज सेंट्रल इंडिया में विजेता का खिताब जीता है। इसके पहले 21 दिसंबर 2025 में पुणे में 'द पेजेण्ट कंपनी द्वारा आयोजित मिसेज महाराष्ट्र में रनर अप का खिताब अपने नाम किया है। गायन और नृत्य का शौक रखने वाली 34 वर्षीय रिदमा अपनी उपलब्धि का श्रेय जीवन साथी शैंकी भसीन के साथ ही रतलाम की गुलमोहर कॉलोनी निवासी पिता दिनेश और मां ललिता काकानी, भाई अंकित और भाभी पल्लवी को देती हैं। इन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया और आज इस मुकाम पर पहुंची हूं। जूरी की भूमिका मयूरी सूर्यवंशी, शाहीन चौधरी, अंजलि लालवानी, हीरा वारिना, काल मास्करेनहाडा, जागृति अग्रवाल, डॉ. स्वाति जैन, गज़ल सचदेव, प्राजक्ता भोयर और रचना वर्मा ने निभाई।

21 फरवरी को भोपाल में हुआ आयोजन

रिदमा ने बताया कि 21 फरवरी को मिस एंड मिसेज सेंट्रल इंडिया का आयोजित किया गया। 45 प्रतिभागियों ने मंच पर अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। यहां पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अमन वर्मा, हीरा वारना और फेमस डायरेक्टर बेजॉय नाम्बियार, फैशन जगत की हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के रूप में शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी दिलीप सूर्यवंशी एवं विधायक भगवान दास सबनानी उपस्थित रहे। अंतरराष्ट्रीय एंबेसडर 2026 मंजरी सिन्हा, डॉ. स्वाति जैन, डॉ. पूर्णिमा तिवारी, मिस पूर्णिमा सुनमोरिया, ज्योति झरबड़े, रेखा मारवाल विशेष रूप में मौजूद थे।

टीकाकरण प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, दो को नोटिस

नवभारत न्यूज

रतलाम। जिले में दस्तक अभियान का 17 फरवरी से 22 मार्च तक चलाया जा रहा हैं। अभियान मे 9 माह से 5 वर्ष आयु के बच्चों को

सीएमएचओ ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निरीक्षण किया

विटामिन ए का घोल एवं आयरन फोलिक एसिड का अनुपुरण दिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संध्या बेलसरे व प्रभारी सीपीएचसी सलाहकार लोकेश वैष्णव द्वारा शहरी क्षेत्र रतलाम में संजीवनी क्लीनिक रामगढ़, रतलाम ग्रामीण के आयुष्मान आरोग्य मंदिर - कनेरी एवं टीकाकरण सत्र स्थल- मथुरी का निरीक्षण किया गया।

टीकाकरण स्थल मथुरी में भी निरीक्षण में एएनएम सीमा सिलावट को बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप, डिजिटल थर्मामीटर, हिमोग्लोबीनोमीटर, यूरिन एल्ब्यूमिन कीट, गर्भवती महिलाओं की हाई रिस्क सूची, एंट्री करने वाला टैबलेट, फीटल डाप्लर, इंफेटोमीटर, ओजीटीटी हेतु प्लास्टिक ग्लास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आंगनवाडी कार्यकर्ता श्रीमती बबीता से दस्तक अभियान अंतर्गत सैम व मेम बच्चों की जानकारी मांगी जिस पर उनके द्वारा 11 बच्चे मैम में होना बताया गया। सीएमएचओ ने एएनएम द्वारा टीकाकरण के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर दोनों स्थानों की एएनएम व आशा कार्यकर्ता को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कनेरी पर भवन पूर्ण होने पर लाइट कनेक्शन कर शीघ्र चालू करने के निर्देश ब्लाक मेडिकल आफिसर को दिए गए। रामगढ़ संजीवनी में डॉ स्वलेहा खान से जांच व उपचार संबंधी जानकारी ली। एएनएम लाड़ कुंवर से टीकाकरण संबंधित लॉजिस्टिक व समस्त रिकार्ड देखा गया। एएनएम व आशा कार्यकर्ता को निर्धारित गणवेश में रहने को कहा। इस दौरान विभिन्न एएनएम, आशा कार्यकर्ता एवं मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री लखन सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह, श्रीमती रानी बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10208214)	प्लॉट संख्या 244, क्रम संख्या 201/1/3मिन-3, पांड्याखेड़ी, पीएचएन 41, उज्जैन, मध्य प्रदेश 456001 स्थित संपत्ति का पूरा भाग क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- क्षेत्रफल- 450	रुपये 1057069/-(रु. दस लाख सत्तावन हजार उनहतर मात्र)	04-12-2025	21/02/2026
श्री राहुल परमार, श्रीमती मुकेश, श्रीमती संजू बाई महाकाल ड्रायक्लीनर्स (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10189140)	प्लॉट नं. 09, ईडब्ल्यूएस, विनायक ग्रीन सिटी, सुरसा, घटिया, उज्जैन, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश 456001 में स्थित संपत्ति का पूरा हिस्सा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- क्षेत्रफल- 426	रुपये1139799/- (रु. ग्यारह लाख उन्चालीस हजार सात सौ निन्यानवे मात्र)	04-12-2025	21/02/2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड, इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश/या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 25-2-2026 — **प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

डिमांड नोटिस

जबकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (नीचे बताए गए ट्रस्टों के लिए ट्रस्टी के तौर पर काम करते हुए) (जिसे इसके बाद "ARCIL" कहा जाएगा) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्टर्ड है और सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (जिसे इसके बाद "SARFAESI एक्ट'' कहा जाएगा) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है और जबकि नीचे दिए गए चार्ट के कॉलम नंबर 2 में बताए गए कर्जदार/सह-कर्जदारों ने IIFL-होम फाइनेंस लिमिटेड, जो मूल कर्जदाता हैं, से लोन लिया था और जबकि ARCIL ने नीचे बताए गए लोन खातों से संबंधित फाइनेंशियल एसेट्स हासिल कर लिए हैं और जबकि ARCIL SARFAESI एक्ट के तहत सुरक्षित लेनदार है, और उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 2 के साथ, नीचे बताए गए कर्जदारों/सह-कर्जदारों को डिमांड नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में बताई गई राशि को उस पर लगने वाले ब्याज के साथ चुकाने के लिए कहा गया है।
लेकिन कुछ लोगों को अलग-अलग कारणों से नोटिस नहीं दिए जा सके। ट्रस्ट का नाम Arcil Trust 2026 015

देनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस तिथि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
श्री शंकर पासी श्रीमती सुंदर बाई पासी शंकर फर्नीचर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10905235)	05-जनवरी-2026, रु. 2182982.66/- (रु. इक्कीस लाख बयासी हजार नौ सौ बयासी और पैसा छियासठ मात्र)	संपत्ति का वह भाग- संपत्ति का वह भाग, खसरा नं. 432, प्लॉट नं. 04, क्षेत्रफल 1820 वर्ग फुट, सिंगापुर सिटी कॉलोनी सेक्टर-ए, ग्राम- नहाल्दा, तहसील एवं जिला- खंडवा, मध्य प्रदेश 450001 में स्थित है. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल- 1820
श्री अभिषेक वर्मा, श्रीमती सविता वर्मा, के एंड के ब्यूटी पार्लर, सावरिया कैफे (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10976991)	05-जनवरी-2026, रु. 2374652.65/- (रु. तेईस लाख चौहत्तर हजार छह सौ बावन और पैसा पैंसठ मात्र)	संपत्ति का वह भाग जो इस प्रकार है- सर्वे नं. 961/3/2/3/1 और 961/3/2/3/2, क्षेत्रफल 1008 वर्ग फुट स्थान- तहसील-रऊ, जिला- इंदौर, मध्य प्रदेश 452001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल- 560.00, 560.00

इसलिए, ऊपर बताए गए उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि वे इस नोटिस के पब्लिकेशन के 60 दिनों के अंदर, संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के खिलाफ ऊपर दिखाई गई कुल बकाया राशि का पेमेंट करें. यदि संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता कुल बकाया राशि का पेमेंट आगे के ब्याज के साथ करने में विफल रहते हैं, तो ARCIL ऊपर बताई गई प्रॉपर्टी पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लागू करने के लिए धारा 13(4) के तहत कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य तरीकों से नोटिस देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) में बताए अनुसार, सार्वजनिक नीलामी या बिक्री द्वारा ट्रांसफर के लिए निजी समझौते के नोटिस के पब्लिकेशन की तारीख से पहले किसी भी समय, Arcil द्वारा किए गए खर्चों, शुल्कों और व्ययों के साथ पूरी बकाया राशि का पेमेंट करके उक्त गिरवी को भुनाया जा सकता है.
ध्यान दें कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको इसके द्वारा सुरक्षित प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर करने और/या उससे निपटने से रोका जाता है.

स्थान: इन्दौर — **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक: 25-2-2026 — **एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)**

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड. सीआईएन क्रमांक-65999MH2002PLC134884
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028. दूरभाष- +91 2266581300. वेबसाइट- www.arcil.co.in

ADITYA BIRLA CAPITAL — IDEAS. INVESTMENTS. INSURANCE. PAYMENTS
ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED

रजिस्टर्ड ऑफिस: इंडियन रेयान कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात-362266, **ब्रांच आफिस:** दूसरा माला, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001

सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस

आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ने अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण लिया है और आप ही ऋण समझौते के लिए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं. आपके द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. हम, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, ने SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) के साथ धारा 13(13) के तहत आपके द्वारा दिए गए पते पर मांग नोटिस जारी किया है. उक्त नोटिस में यह कहा गया है कि आपने आपको स्वीकृत विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक की है इसलिए, SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार नोटिस तामील करने के लिए यह प्रकाशन किया गया है.

लोन अकाउंट नंबर/ अकाउंट का नाम और पता, देनदार, सह-देनदार और गारंटर	मांग नोटिस की तारीख	मांग नोटिस के अनुसार देय राशि
लोन अकाउंट नंबर - ABFLINDLAP000126221 और ABINDLAP000000569247, **1. मेसर्स अजय ट्रेडर्स,** इसके प्रोप्राइटर के ज़रिए, 158, रानीपुरा मेन रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 **इसके अलावा** -45-46 छोगालाल उस्ताद मार्ग, रानीपुरा, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 **2. संजय दुधानी,** हाउस नंबर 176, स्वामी दयानंद नगर, माणिक बाग रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-45201. **पता-** 158, रानीपुरा मेन रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 **3. अजय दुधानी,** जिन्हें अजय कुमार दुधानी के नाम से भी जाना जाता है, 103 बी के सिंधी कॉलोनी, खाती वाला टैंक, इंदौर, मध्य प्रदेश-452014. पता-158, रानीपुरा मे